बीमा राशि बढ़ाना :

हमारे पास लगातार दो वर्ष दावा रहित आवरण होने के बाद ही बीमा राशि में वृद्धि की जा सकती हैं ।

पोर्टेबिलिटी :

पॉलिसी, पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा विनियमन 2002 तथा आईआरडीए द्वारा जारी पोर्टेबिलिटी दिशा-निर्देशों के अधीन है ।

शिकायत निवारण :

यदि बीमा के संबंध में आपको कोई शिकायत हो तो आप कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों के शिकायत कक्षों से या बीमा लोकपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं ।

**कृपया आवरण, अपवर्जन तथा शर्तों के संपूर्ण विवरणों के लिए विवरणिका या पॉलिसी दस्तावेज को संदर्भित करें ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इन्डिया एश्योरन्स कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

"बीमा आग्रह की विषय वस्तु है"

Enhancement of Sum Insured :

Enhancement of Sum Insured will be permitted after two claim free years of continuous coverage with us.

Portability :

The policy is subject to Protection of Policyholders' Interest Regulations, 2002 and Portability Guidelines issued by IRDA.

Grievance Redressal :

In the event of Your having any grievance relating to the insurance, You may contact any of the Grievance Cells at Regional Offices of the Company or Office of the Insurance Ombudsman.

**Kindly refer the Prospectus or Policy Document for complete details of Coverage, Exclusions and Conditions.

For further details contact your nearest NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. प्रीमियर, बहुराष्ट्रीय गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 2472 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the Premier, Multinational the non-life insurance company with more than 2472 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम **पशु बीमा, कुक्कुट बीमा, श्वान बीमा** और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं ।

We also insure risks relating to **Cattle Insurance, Poultry Insurance, Dog Insurance** and a lot more.

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Company Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय / Head Office

न्यू इन्डिया एश्योरंस बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, मुंबई - 400 001.
New India Assurance Building, 87, M. G. Road,
Fort, Mumbai - 400 001.
(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)
सी.आई.एन. संख्या / CIN No. : L66000MH1919GOI000526
Website : www.newindia.co.in

Master Prints -

न्यू इन्डिया टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी
New India Top-Up Mediclaim Policy

आशा किरन पॉलिसी के लिए संपूर्ण सुरक्षा

Overall SURAKSHA for Asha Kiran Policy

हम आपके **बेटियों** की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure that your Girls is Secured

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Company Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

आपकी आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता हैं
Your financial security is our prime concern

न्यू इन्डिया आशा किरन पॉलिसी

स्वास्थ्य आवरण :

- इस परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा संरक्षण जहाँ केवल बेटियाँ ही हैं ।
- बेटियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50% छूट ।

व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण :
(केवल माता-पिता के लिए)

दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यदि निम्न की दुर्घटनात्मक मृत्यु या स्थायी कुल विकलांगता हो जाती है तो :

एकल माता/पिता : पूरी बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा । दोनों, माता और पिता : बीमा राशि का 200% अदा किया जायेगा ।

लाभ :

- रु. 2 लाख, रु. 3 लाख, रु. 5 लाख और रु. 8 लाख की फ्लोटर बीमा राशि उपलब्ध ।
- आवरित सदस्य : स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बेटियाँ ।
- अस्पताल नकद प्रति दिन 0.1% की दर से देय होगी जो किसी एक बीमारी के लिए अधिकतम बीमा राशि के 1% तक होगी ।
- गंभीर देखभाल लाभ, अतिरिक्त लाभ के रुप में बीमा राशि का 10% ।
- एम्ब्युलेंस प्रभार बीमा राशि के 1% तक ।
- आयुष उपचार बीमा राशि के 25% तक ।
- फ्री-लुक अवधि 15 दिन तक ।
- आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत कर लाभ ।
- अंचल के अनुसार आकर्षक प्रीमियम ।
- अस्पतालीकरण पूर्व व्यय 30 दिनों तक ।
- अस्पतालीकरण पश्चात् व्यय 60 दिनों तक ।
- पूरे भारत-भर में नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस अस्पतालीकरण ।
- प्रतिकूल दावा अनुभव के लिए कोई लोडिंग नहीं ।
- 74 से अधिक डे-केयर प्रक्रियाएँ आवरित ।

NEW INDIA ASHA KIRAN POLICY

HEALTH COVERAGE :

- Health insurance protection for family having only girl children.
- 50% discount on Health Insurance premium for the girl children.

Personal Accident Coverage :
(only for parents)

In case of unfortunate event of Accidental Death or Permanent Total Disablement of

Single parent : Full Sum Insured will be paid; Both Parents: 200% of Sum Insured will be paid.

BENEFITS :

- Floater Sum Insured of ₹ 2 lakhs, ₹ 3 lakhs, ₹ 5 lakhs and ₹ 8 lakhs available.
- Members covered : Self, Spouse and dependent daughter/s.
- Hospital Cash payable at the rate of 0.1% per day maximum up to 1% of Sum Insured for Any One Illness.
- Critical Care Benefit of 10% of Sum Insured as additional benefit.
- Ambulance charges up to 1% of Sum Insured.
- AYUSH treatment up to 25% of the Sum Insured.
- Free Look Period up to 15 days.
- Tax Benefit under 80D of Income Tax Act.
- Attractive Zone wise premium.
- Pre-Hospitalisation expenses up to 30 days.
- Post-Hospitalisation expenses up to 60 days.
- Cashless hospitalisation in Network hospitals across India.
- No loading for adverse claim experience.
- More than 74 Day-Care procedures covered.

मुख्य अपवर्जन :

- किसी भी पूर्व विद्यमान स्थिति / बीमारी के उपचार का भुगतान नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे बीमित व्यक्ति के आवरण को लगातार 48 महीने पूरे न हो जाएँ ।
- इस पॉलिसी के आरंभ होने के बाद प्रथम 30 दिनों के दौरान हुई कोई बीमारी ।
- बतायी गई बीमारियों के लिए 24 महीनों की प्रतिक्षा अवधि ।
- बढ़ती उम्र के कारण हुई अनियमितताओं के लिए 48 महीनों की प्रतिक्षा अवधि ।
- इस पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि पर पहले से विद्यमान किसी विकलांगता के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यट रुप से उत्पन्न या उससे संबंधित मृत्यु, चोट या विकलांगता के मामले में भुगतान या मुआवजा ।
- दंत उपचार या किसी प्रकार की सर्जरी जब तक कि वह दुर्घटना के कारण जरुरी न हो और उसमें अस्पतालीकरण आवश्यक न हो ।
- प्रसूति व्यय, इलाज जो गर्भावस्था, गर्भपात, गर्भ निकालना या उसकी जटिलताओं से उत्पन्न हो या उससे संबंधित हों ।
- वंशगत अनियमितताएँ और स्टेम सेल प्रतिरोपण / सर्जरी ।
- घरेलु अस्पतालीकरण

मुख्य शर्तें :

सूचना प्रेषण :

स्वास्थ्य दावों के लिए सभी सूचना प्रेषण या दस्तावेज प्रेषण आपको टीपीए को भेजना होगा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना दावों के लिए या अन्य किसी मामले के लिए पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को भेजना होगा ।

बीमा का आधार :

पॉलिसी प्रस्ताव में दिये गये कथनों की सत्यता तथा यथार्थता के आधार पर जारी की जाती है ।

प्रीमियम :

जब तक जोखिम आरंभ होने से पहले प्रीमियम अदा नहीं किया जाता तब तक पॉलिसी कार्यरत नहीं होगी ।

MAJOR EXCLUSIONS :

- Treatment of any Pre-existing Condition / Disease will not be paid, until 48 months of Continuous Coverage of such Insured Person have elapsed.
- Any Illness contracted during the first 30 days of the commencement date of this Policy.
- Waiting period of twenty four months for named diseases.
- Waiting period of forty eight months for age related disorders
- Payment or compensation in respect of Death, Injury or Disablements directly or indirectly arising out of or contributed to or traceable to any Disability already existing on the date of commencement of this policy.
- Dental treatment or Surgery of any kind unless necessitated by Accident and requiring Hospitalisation.
- Maternity Expenses, treatment arising from or traceable to pregnancy, miscarriage, abortion or complications.
- Genetic disorders and stem cell Implantation / Surgery.
- Domiciliary Hospitalisation

MAJOR CONDITIONS :

Communication :

You must send all communications or documents to the TPA for health claims and to the policy issuing office for personal accident claims or any other matter.

Basis of Insurance :

The policy is issued on the basis of truth and accuracy of statements in proposal.

Premium :

Unless premium is paid before commence ment of risk, the policy shall have no effect.